



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0737/O.A. No. 459/2024

दिनांक:-

Date: 20.07.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 07.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 459/2024, Sampurna Nand Vs M/s Ganga Sagar Singh (Stone Crusher) & Ors.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 07.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 459/2024, Sampurna Nand Vs M/s Ganga Sagar Singh (Stone Crusher) & Ors, the status report is being filed herewith.

It is requested that status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 07.05.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 459/2024 Sampurna Nand Versus M/s Ganga Sagar Singh (Stone Crusher) & Ors.

1. NGT took the matter in O.A. No. 521/2022 Sampurna Nand Vs. State of U.P. & Ors. on the basis of a letter petition relating to violation of the norms by mining leases and stone crushers operated in village-bhagvati deyi, sonpur, chakjata of District mirzapur. Hon'ble NGT has constituted a Joint Committee and directed to submit the factual cum action taken report.
2. As per joint committee report dated 06.07.2023 and dated 06.01.2024, UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was received to concerned Stone Crusher on dated 19.01.2024 (Annexure-1).
3. The presentation sent by the industry against show-cause notice was received on dated 30.01.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-2).
4. UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status of CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

| S.NO. | Major Air Pollution Control measures | Installation Status | Remark and Action Taken |
|-------|--|---------------------|---|
| 1. | Closed metal sheet enclosures at dust emitting points. | Partially Covered | As per inspection report dated 08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after confirmation of show-cause notice and revoking the CTO. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry. |
| 2. | Covering of all conveyor belts. | Covered | |
| 3. | Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum | NO | |
| 4. | Wind breaking wall around the premises. | Yes | |
| 5. | Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall. | NO | |
| 6. | Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism. | NO | |
| 7. | Height of exhaust pipe of DG Set. | NO | |



5. Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).
6. As per inspection report dated-08.02.2024, UPPCB issued closure order on dated 19.02.2024 after giving opportunity as per law. However, UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.
7. Further, Applicant has raised the following issue in this matter-
“...Project proponent has two units and respondent no.1 project proponent has obtained CTO only for one unit...”
8. It was also mentioned in the joint committee report dated 06.01.2024 (Annexure-4) that CTO have issued to industry for operation of 01 stone crusher and production of stone grits @12500 Ton/Year by UPPCB. Plants and machineries for two stone crushers has established at same dug, which violates condition no. 02 of CTO and provision of Air/Water act.
9. The CTO application for operating the plant and machinery of second crusher unit has not applied.
10. The presentation of the industry against closure order dated 19.02.2024 has received on 01.05.2024 and again on dated 21.05.2024.
11. UPPCB conducted field visit on dated 22.05.2024 to verify complying status of previous CTO and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

| S.NO. | Major Air Pollution Control measures | Installation Status | Remark and Action Taken |
|-------|--|---------------------|---|
| 1. | Closed metal sheet enclosures at dust emitting points. | Yes | As per inspection report dated 22.05.2024, recommendation to revoke the closure order dated-19.02.2024 sent to head quarter, Lucknow and closure order has been revoked by UPPCB. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry. |
| 2. | Covering of all conveyor belts. | Yes | |
| 3. | Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum | Yes | |
| 4. | Wind breaking wall around the premises. | Yes | |
| 5. | Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall. | Yes | |
| 6. | Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism. | Yes | |
| 7. | Height of exhaust pipe of DG Set. | Yes | |


12. Detail Inspection report dated-22.05.2024 is attached herewith (Annexure-5).
13. As per inspection report dated 22.05.2024, recommendation to revoke the closure order dated-19.02.2024 sent to head quarter, Lucknow. Closure order has been revoked by UPPCB vide letter dated-24.05.2024 (Annexure-6. The Industry has obtained valid CTO for 01 unit from UPPCB. However, UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has not deposited by the industry.

Conclusion-

It was also mentioned in the joint committee report dated 06.01.2024 that CTO have issued to industry for operation of 01 stone crusher and production of stone grits @12500 Ton/Year by UPPCB. Plants and machineries for two stone crushers has established at same dug, which violates condition no. 02 of CTO and provision of Air/Water act. For the past violation of CTO conditions, UPPCB issued to closure order as well as imposed the amount of Rs 9,12,500/- as environmental compensation vide letters dated 19.02.2024. Presently, UPPCB has revoked the closure order conditionally vide letter dated 24.05.2024 and issued CTO for 01 unit. Durnin site visit on 22.05.2024, another unit found closed. The project proponent has not deposited the amount of environmental compensation.

The above status report is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 20.07.2024



(U.K. Gupta)

Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. **1105688-1C-2/WGIT-67/SCN/24**

दिनांक

Date **22/1/24**

पंजीकृत

M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER),
BHAGAUTI DEL CHUNAR,
MIRZAPUR.

यह कि उद्योग M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR जिस आग उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रिट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के प्रावधानों का कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनापरांत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S GANGA SAGAR SINGH (STONE CRUSHER), BHAGAUTI DEL CHUNAR, MIRZAPUR. की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रुपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनापरांत निर्गत

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनमदर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गामती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया

Suman

M.M. 9838252156

20-01-2024

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522 2720828, 2720831
Fax : 0522 2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com



GSC
Ganga Sagar Singh
CIVIL CONTRACTOR
Class A Contractor (Regd. with PWD Lucknow)
Phone : 7705838383, 7376838383

Office :

989/1, Varuna Vihar Colony
Sikraul, Varanasi (U.P.)

Resi.:

Village & Post - Karampur
Tehsil - Saidpur, Distt - Ghazipur (U. P.)

Email:

gangasagarsingh729@gmail.com

SPECIALIST

Civil & Road Construction Work
(Equipped with all own Modern
Machines & Equipments eg. Hot
Mix. Wet Mix Plant. Motor Grader.
Loader. J C B Paver Finisher
Truks, Roller etc.

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

विषय: मे० गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर युनिट), ग्राम-भगौतीदेई, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को जारी कारण बताओ नोटिस संदर्भ संख्या-एच०५६८८/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या-एच०५६८८/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त क्रशर प्लांट का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-२८.१२.२०२३ से दिनांक-३०.१२.२०२३ के मध्य किया गया तथा पाया गया कि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत समिति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। तत्क्रम में उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ यथासंशोधित की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गयी हैं। प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्पिंकलर एवं एंटी स्मॉग गन स्थापित किया गया है, जिसका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग परिसर के चारों तरफ विण्ड ब्रेकिंग वॉल, टिन शेड से कवर्ड किया जाना एवं ग्रीन बेल्ट का समुचित विकास किया गया है, जिस संबंध में नोटिरियल शपथ-पत्र संलग्न है। उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश दिनांक-११.०२.२०२१ में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है तथा अनुपालन आख्या कार्यालय में जमा कराया जाता है।

अतः निवेदन है कि उक्त के दृष्टिगत उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप

करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ निक्षेप करने की कृपा करें।

(गंगा सागर सिंह)

भवदीय

गंगा सागर सिंह
(गंगा सागर सिंह)

प्र० मे० गंगा सागर सिंह, मीरजापुर



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 531702

शपथ-पत्र

समक्ष

क्षेत्रीय अधिकारी

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

.....2 Ticket Rs. 10.00

Ranjeet Singh
Notary - Sonebhadra

मैं गंगा सागर सिंह पुत्र श्री मेघवरन सिंह, उम्र 45 वर्ष, ग्राम-करमपुर, तहसील-सैदपुर, जनपद गाजीपुर(उ०प्र०) का मूल निवासी हूँ। मेसर्स गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर युनिट), भगौतीदेई, पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर का प्रोपराइटर हूँ। उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच००५६८८/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में विन्दुवार प्रति उत्तर निम्नवत है:-

1. Industry has Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers.
2. Industry has Arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyers.
3. Industry has All opening provided for ventilation in the enclosures covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
4. Industry has Covering of all belt conveyers.
5. Industry has Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering and truck loading the product, for controlling 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
6. Industry has A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall.
7. Industry has Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipment's and transfer points.
8. Industry has the metal roads inside the stone crusher premises with arrangement for regular cleaning inside the premises to avoid re-entrainment of settled dust.
9. Industry has Regular wetting of the ground through tanker mounted sprinklers/ smog guns within the premises
10. Industry has Dense Green belt along the boundary wall.

कमश:.....2 /पर

गंगा सागर सिंह




गंगा

गंगा सागर

गंगा सागर

श्री. श्री. गंगा सागर सिंह
कनक प्रकाश
गंगा



गंगा सागर सिंह

गंगा सागर सिंह


30-1-24

Ganga Saagar Singh
I am identified by Signature
appeared before me on 30-1-24
at ... and he stated that he
understands the contents mentioned in
the affidavit/declaration, which are
true, and I am satisfied and wish to file

Notary

Notary

326



(2)

11. Industry has the dust extraction system installed by the stone crushers at dust containment enclosures to extract the accumulated dust fitted with adequate dust control system.
12. Industry has the arrangements to minimize the generation of dust emissions during loading, unloading, handling and storage of raw material / products, waste or byproducts.
13. Industry has Arrangement of Covering while transportation and storage of final product / material.
14. Industry has the stretches of the main highways passing in the vicinity of the stone crushers area are metalled
15. Industry has the approach and link roads in the stone crushers area are metalled.
16. Industry has Quarterly Ambient Air Monitoring through third party.

महोदय आपसे निवेदन है कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 को निरस्त करने की कृपा करें। मेरे द्वारा उपरोक्त क्र0सं0 01 से 16 तक पर दी गयी सूचनाये पूर होशॉहवाश मे दी गयी है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

ह0 शपथग्राही

दिनांक-29.01.2024



गंगा सागर सिंह
(गंगा सागर सिंह)
मे0 गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर युनिट)
मीरजापुर



**क्षेत्रीय कार्यालय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र**
REGIONAL OFFICE, U. P. POLLUTION CONTROL BOARD,
SONBHADRA

संदर्भ सं० जी०००० /०००-५२१/५.८/२०२४

दिनांक-०८.०२.२०२४

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२)
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी०-१२ वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय: मेसर्स गंगासागर सिंह(स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१(यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या का प्रेषण।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६८८/सी-२/एन०जी० टी०-६७/एस०सी०एन०/२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से संदर्भित उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी है एवं अधोहस्ताक्षरी को अद्यतन निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के निर्देशों के साथ पृष्ठांकित है। प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-०८.०२.२०२४ को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या मूलरूप में सादर अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्यानुसार उद्योग समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित किये बिना संचालित है तथा उद्योग द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। तत्क्रम में उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी सहमति आदेश दिनांक-११.०२.२०२१ को इस कार्यालय के पत्र दिनांक-०८.०२.२०२४ द्वारा रिवोक किया जा चुका है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इस पत्र के साथ संलग्न विस्तृत निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स-गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, पोस्ट-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम १९८१ (यथासंशोधित) की धारा ३१-ए के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय लखनऊ के उपरिसंदर्भित पत्र दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है तथा उद्योग पर १४६ दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू० ०९,१२,५००.०० (नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय


(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

कार्यालय : मकान संख्या १६२ उत्तर मोहाल (निकट चण्डी होटल), राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-२३१२१६

House No. 162, Uttar Mohal (Near Chandi Hotel) Robertsganj, Sonbhadra-231216

Email-rosombhadra@uppcb.in

मेसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, पो0-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग को राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-HO5688/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। अग्रेतर उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त है। उद्योग का अद्यतन निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त उद्योग ग्राम-भगौतीदेई, पो0-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के आ0सं0-731मि0 पर होना सूचित है। उद्योग का जिओ को-आर्डिनेट्स **25.05734**-अक्षांश एवं **82.99646**-देशान्तर है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्टर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन गिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन गिट की उत्पादन क्षमता 12500 टन/वर्ष सूचित है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर में एक डग पर दो स्टोन क्रशर उद्योग की प्लांट एवं मशीनरी स्थापित तथा संचालित अवस्था में पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर आंशिक कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर कैनवास क्लथ/टेलिस्कोपिक सूट की स्थापना निरीक्षण के समय नहीं पायी गयी।



4. उद्योग में कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी। वॉटर स्प्रींकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख-रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी।
5. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर डस्ट की परत जमी होने के कारण मेटल रोड/कंक्रीट रोड का सत्यापन नहीं किया जा सका एवं अवशेष भाग पर मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण नहीं पाया गया।

(Handwritten signature)

क्रमशः 2/पर....

(2)

6. उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया, किन्तु राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित नहीं पायी गयी।
7. उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 625 केवीए0 क्षमता का एक अदद डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित नहीं पायी गयी।
8. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उद्योग द्वारा प्रस्तुत नहीं की गयी है। उद्योग द्वारा एक डग पर दो स्टोन क्रशर प्लाण्ट एवं मशीनरी को बोर्ड से बिना सी0टी0ई0 प्राप्त किये स्थापित किया गया है एवं बिना सी0टी0ओ0 प्राप्त किये संचालित किया जा रहा है, जो बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्त संख्या-02 का उल्लंघन है। इस प्रकार सहमति शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा नहीं किया जाना परिलक्षित होता है।
9. उद्योग का निरीक्षण पूर्व में समिति द्वारा किया गया था। समिति की आख्यानुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-HO5688/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
10. उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 के अनुक्रम में उद्योग का प्रतिउत्तर प्राप्त हुआ है, जो संतोषजनक प्रतीत नहीं होता है।
11. उद्योग द्वारा उद्योग को राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति आदेश (जल एवं वायु) दिनांक-11.02.2021 में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उक्त उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ सं0-118220/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2021 दिनांक-11.02.2021 तथा संदर्भ सं0-118243/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2021 दिनांक-11.02.2021 द्वारा जारी सहमति आदेश को रिवोक इस कार्यालय के पत्र दिनांक-08.02.2024 द्वारा किया जा चुका है।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। तत्सम्बन्ध में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक-23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक-02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक-08.02.2024 तक अर्थात् 218 दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष 146 दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 146 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).



क्रमशः 3/पर....

(3)

Where,

PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)

N =146 (No. of days from which the non-compliance has been observed)

R = 250 (R factor in Rupees)

S = 0.5 (Factor for scale of operation=**0.5** as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)

LF=1.0 (Location Factor= **1.0 as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac.** (LF is 1.0 for population less than 10 lac)

Therefore,

$$\begin{aligned} \text{Environmental Compensation(EC)} &= \text{PI} \times \text{N} \times \text{R} \times \text{S} \times \text{LF} \\ &= 50 \times 146 \times 250 \times 0.5 \times 1.0 \\ &= \text{Rs. 9,12,500/- (Rs. Nine Lacs twelve thousand five hundred) only.} \end{aligned}$$

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त संदर्भित उद्योग मेसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, पो0-पटिहट्टा, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-HO5688/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की जाती है। अग्रेतर उपरोक्त गणनानुसार उद्योग पर **146** दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु **रु0 9,12,500.00** धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।


08/02/2024

(यूके0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

Photographs of the above said stone crusher:

Annexure No.4



Finding/Suggestion of the committee:

- i. UPPCB shall initiate action under the section-31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) in the light of violation of CTO conditions and provision of Air act.
- ii. UPPCB shall impose environmental compensation against the industry for non-complying/violation days.

6.16. M/s Ganga Sagar Singh (Stone Crusher), Village-Bhagautidei, Chunar, Mirzapur.

- a) The said industry has established at Arazi No. 731 Mi, Village-Bhagautidei, Post-Patihatta, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar and District-Mirzapur. The Geo-coordinates of the industry is 25.05734-latitude and 82.99646-longitude.
- b) Stone Crusher has produce stone grits as main product using stone bolder as raw material. It seems that Industry is operational.
- c) The plants and machinery of the industry such as primary jaw crusher, secondary jaw crusher, vibrating screens (waterfall) and conveyor belts and ends of conveyor belts have partially covered with tin-shed or metallic sheet. Ends of conveyor belts have not covered.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- d) A telescopic suit has not installed at the ends of the conveyor belts. Water sprinkling system has not installed at grits transfer points of conveyor. Water sprinklers has installed at barricading.
- e) Separate energy meter has not installed for consumption of electricity used in water sprinkling. Electro-magnetic water flow meter has established at bore-well for measurement of quantity of water consumption. Logbook related to this could not put up before committee during visit.
- f) Barricading of metal sheet and bricks have established as wind-breaking wall around the periphery of the stone crusher. The height of this barricading was approximate above 12 feet as per CTO condition.
- g) A thick green belt of trees of suitable species able to attain 8-10 meter height on maturity has not found developed in multi-lineate staggered manner on a minimum 33% of the land on which the industry is established as per the "Protocol for Development of Green Belt" notified vide Board Office Order No.H16405/220/2018/02 dated. 16.02.2018. In this regards, this direction is available at URL http://www.uppcb.com/pdf/Green-belt-Guide_160218.pdf.
- h) Industry has partially constructed metallic road inside the premises to reduce the dust emission which generated by vehicular movements.
- i) Industry has established a Diesel generator having capacity of 625 KVA, at which the height of exhaust pipe has not established as per the standards prescribed by the Board for the control of gaseous emissions generated from the DG set in the industry.
- j) As per Regional Office, UPPCB, Sonbhadra records, CTO have issued to industry for operation of 01 stone crusher and production of stone grits @12500 Ton/Year by UPPCB. Plants and machineries for two stone crushers has established at same dug, which violates condition no. 02 of CTO and provision of Air/Water act.
- k) The Industry has not submitted compliance report of conditions imposed in CTO dated 11.02.2021 issued by UPPCB.

- l) Some conditions imposed in CTO are satisfactory complying with by the industry and rest conditions imposed in CTO are partially complying or non-complying with by the industry. The detail about to compliance status of the all conditions imposed in Consent to Operate (CTO) issued by UPPCB, enclosed here with and marked as annexure no. 2.14.

Photographs of the above said stone crusher:



Finding/Suggestion of the committee:

- i. Industry has established plants and machineries for two stone crushers at same dug, which violates condition no. 02 of CTO and provision of Air/Water act. In the light of violation of CTO conditions and provision of Air act, UPPCB shall revoke the issued CTO dated 11.02.2021. Further UPPCB shall issue initiate action for closure under the section-31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended).
- ii. UPPCB shall impose environmental compensation against the industry for non-complying/violation days.

6.17. M/s Nilima Singh (Ex. Name M/s MaaVindhyavasini Stone Works), Village-Bhagautidei, Chunar, Mirzapur.

- a) The said industry has established at Arazi No. 184, Village-Bhagautidei, Post-Patihatta, Pargana-Bhagwat, Tehsil-Chunar and District-Mirzapur. The Geo-coordinates of the industry is 25.047313-latitude and 82.979409-longitude.



31
क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र

Annexure no.5



पत्रांक:—जी०505 / सी-43 / एम०जेड०पी० / सी०टी०ओ० / 2024

दिनांक—22.05.2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी० 12, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विशय:—मेसर्स गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश को निक्षेपित करने हेतु उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या—H07219/C-2/NGT-67/24 दिनांक—19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बंदी आदेश जारी किया गया था। उद्योग द्वारा प्रेषित अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से उक्त बंदी आदेश को निक्षेपित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उक्त सन्दर्भित उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक—22.05.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स गंगा सागर सिंह(स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या—H07219/C-2/NGT-67/24 दिनांक—19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है:—

- I. उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उद्योग द्वारा प्रत्यावेदन में अंकित समयावधि में राज्य बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
- II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन०ए०बी०एल० एक्रीडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस-पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू-भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
- V. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- VI. उद्योग द्वारा वाटर स्प्रिक्लिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वाटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
- VII. उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त करने के उपरान्त किया जाय।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(यू०के० गुप्ता)




क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981(यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश को निक्षेपित करने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त उद्योग मेसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H07219/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत बंदी आदेश निर्गत किया गया है, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत बंदी आदेश के अनुपालन में दिनांक-06.03.2024 को सील/सीज किया जा चुका है। उद्योग द्वारा उक्त बंदी आदेश को निक्षेपित करने हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के सन्दर्भ में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-22.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-



- 1- उक्त उद्योग ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर स्थापित होना सूचित है। निरीक्षण के दौरान उद्योग के डग के समीप का जिओ को-ऑर्डिनेट्स 25.05734-अक्षांश एवं 82.99646-देशान्तर पाया गया।
- 2- उक्त उद्योग मे कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्टर्स का प्रयोग कर विभिन्न साईज की स्टोन ग्रिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन ग्रिट की उत्पादन क्षमता 12500 टन/वर्ष सूचित है।
- 3- निरीक्षण के समय पायी गयी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण निम्नवत है:-

- i. उद्योग के संयंत्र- निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर टेलिस्कोपिक सूट के प्रतिस्थानी के रूप में कैनवास क्लाथ एवं प्लास्टिक ड्रम की स्थापना निरीक्षण के समय पायी गयी।



609

- ii. डस्ट सप्रेसन की व्यवस्था—निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा प्राइमरी जॉ क्रशर सेकेण्ड्री जॉ क्रशर एवं वाइब्रेटिंग स्क्रीन (झरना) पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था स्थापित पायी गयी। उद्योग उद्योग में संयंत्रों एवं डस्ट सप्रेसन स्रोतों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी। उद्योग में डस्ट सप्रेसन हेतु स्मॉग गन स्थापित पायी गयी।



- iii. जल खपत मापन हेतु फ्लो मीटर की व्यवस्था—

उद्योग में वाटर स्प्रींकलिंग में विद्युत की खपत हेतु पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) स्थापित पाया गया। वॉटर स्प्रींकलिंग में प्रयुक्त जल खपत की मात्रा के मापन हेतु फ्लो मीटर निरीक्षण के समय स्थापित पाया गया, किन्तु वॉटर मीटर का सतत् संचालन सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित लॉगबुक का रख-रखाव नहीं पाया गया एवं निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा भौतिक रूप से अवगत कराया गया कि अग्रेतर लॉगबुक की रख-रखाव किया जायेगा।

- iv. विण्ड ब्रेकिंग वॉल एवं मेटल रोड की व्यवस्था का विवरण—

निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के कुछ भाग पर स्टोन डस्ट की परत जमी होने के कारण मेटल रोड/कंक्रीट रोड का सत्यापन नहीं किया जा सका एवं अवशेष भाग पर मेटल/कंक्रीट रोड का निर्माण पाया गया। उद्योग परिसर में विण्ड ब्रेकिंगवॉल स्थापित पायी गयी। उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया।

- 4- उद्योग परिसर के कुछ भाग पर पौधों का रोपण निरीक्षण के समय पाया गया। उद्योग में राज्य बोर्ड के आदेश दिनांक-16.02.2018 के अनुपालन में सहमति शर्तों के अनुरूप उद्योग परिसर में हरित पट्टिका विकसित किया गया है।
- 5- उद्योग में विद्युत आपूर्ति हेतु 250 के0वी0ए0 क्षमता का एकास्टिक एन्क्लोजर युक्त डी0जी0 सेट स्थापित पाया गया। डी0जी0 सेट के संचालन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसीय उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु इक्जॉस्ट पाइप की ऊँचाई राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी।
- 6- उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन के अतिरिक्त डस्ट सप्रेसन हेतु वाटर स्प्रींकलिंग में किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु सेप्टिक टैंक/सोकपिट स्थापित है। औद्योगिक प्रक्रिया से उत्प्रवाह जनित नहीं होता है।
- 7- उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-30.12.2023 को किया गया था। निरीक्षण आख्यानसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को स्थापित किये बिना उद्योग संचालित किये जाने एवं सहमति शर्तों का उल्लंघन किये जाने के आलोक में उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड के संदर्भ दिनांक-12.01.2024 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी तत्पश्चात उद्योग के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H07219/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा बंदी आदेश जारी किया गया था। उद्योग को राज्य बोर्ड से जारी बंदी आदेश दिनांक-19.02.2024 को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में उद्योग का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(Signature)

- 8- उद्योग को राज्य बोर्ड के संदर्भ संख्या-जी0078/सी-43/एम0जेड0पी0/2024 दिनांक-08.02.2024 द्वारा निर्गत सहमति आदेश संदर्भ संख्या-118220/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/air/MIRZAPUR/2021 दिनांक-11.02.2021 एवं संदर्भ संख्या-118243/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/water/MIRZAPUR/2021 दिनांक-11.02.2021 को रिवोक किया गया है। उद्योग द्वारा पूर्व निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रत्यावेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। वर्तमान में निरीक्षण के समय पाए गए तथ्यों से परिलक्षित होता है कि उद्योग द्वारा राज्य बोर्ड से पूर्व में जारी सहमति शर्तों का संतोषजनक अनुपालन किया जा रहा है।
- 9- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त के आलोक में उद्योग पर धनराशि रू0 9,12,500.00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।
- 10- निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया तथा प्लाण्ट एवं मशीनरी की सील सुरक्षित पायी गयी।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H07219/C-2/NGT-67/24 दिनांक-19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी बंदी आदेश को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

- I. उद्योग पर डिफाल्टर अवधि हेतु धनराशि रू0 9,12,500.00 की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि को एक माह के अन्दर बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
- II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रीडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस-पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू-भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
- V. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- VI. उद्योग द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
- VII. उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से वैध सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये।


22/05/2024

(यू0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी



संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

मैसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर),
ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार,
जनपद-मीरजापुर।

दिनांक

Date

पंजीकृत

विषय: मैसर्स गंगा सागर सिंह (स्टोन क्रशर), ग्राम-भगौतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को राज्य बोर्ड के पत्रांक H07219/C-2/NGT-67/24 दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी बंदी निर्देश को सशर्त निक्षेप किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया आपके उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 19.02.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए के अन्तर्गत जारी बंदी निर्देश का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र की आख्या दिनांक 22.05.2024 के अनुसार उद्योग में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्टोन क्रशर इकाई हेतु निर्धारित मार्गदर्शिका के अनुरूप वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये जाने के दृष्टिगत तथा क्षेत्रीय अधिकारी, सोनभद्र द्वारा की गयी संस्तुति एवं सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ उद्योग को जारी बंदी आदेश दिनांक 19.02.2024 को सशर्त निक्षेपित किया जाता है:-

1. उद्योग पर डिफाल्टर अवधि हेतु धनराशि रू० 9,12,500/- (रू० नौ लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि को एक माह के अन्दर बोर्ड के खाते में जमा किया जायें।
2. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायुगुणता का अनुश्रवण एन0ए0बी0एल0 एक्रिडेटेड प्रयोगशाला अथवा बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से मानिटरिंग कराकर अनुश्रवण आख्या 01 माह के अन्दर प्रेषित की जाये।
3. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का नियमित संचालन एवं उचित रख-रखाव किया जाये, जिससे उत्सर्जन सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे।
4. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू-भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अंदर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जायें।
5. उद्योग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायें।
6. उद्योग के संचालन की स्थिति में नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाये, जिससे डस्ट न उड़े।
7. उद्योग द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वॉटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉग-बुक मेन्टेन किया जाये तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जायें एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
8. उद्योग का संचालन राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के आज्ञापक प्राविधानों के अन्तर्गत संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना कदापि न किया जाये।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com